

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.10(क)(चुनाव)()/डीएलबी/14 2334

दिनांक: 22/7/14

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5 व 6 के क्रम में 184 नगर निकाय में अध्यक्ष पदों हेतु महिला आरक्षण एक तिहाई के आधार पर किया जाना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 8(ग) नियम/चुनाव/ एलएसजी/ 99/10334 दिनांक 30.10.99 एवं एफ.10(क) (चुनाव) ()/ डीएलबी/14/2199-2306 दिनांक: 18.07.2014 के अनुसरण में स्वायत्त शासन विभाग के मिटिंग हाल में आयोजित लॉटरी राज्य की समस्त 184 नगर निकायों के अध्यक्ष पदों पर जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अध्यक्ष पदों का आरक्षण समस्त राज्य की 184 नगर पालिका को जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में रखकर अधिकतम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं को आरक्षित किया गया, जिनकी सूची निम्न प्रकार है:-

(अ) अनुसूचित जाति के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित नगर पालिकाएं:-

क्र.सं.	नगर पालिका का नाम	प्रतिशत	क्र.सं.	नगर पालिका का नाम	प्रतिशत
1.	गजसिंहपुर	39.22	15.	फुलेरा	25.92
2.	श्रीकरणपुर	38.45	16.	देशनोक	25.84
3.	केसरीसिंहपुर	35.49	17.	डीग	25.31
4.	कुम्हेर	33.05	18.	खैरथल	24.77
5.	रायसिंहनगर	32.56	19.	सांचौर	24.51
6.	पदमपुर	31.74	20.	पीलीबंगा	24.12
7.	लाखेरी	31.52	21.	गंगापुर (भीलवाडा)	24.09
8.	जोबनेर	31.52	22.	अन्ता	23.82
9.	बग्गड	31.45	23.	नदबई,	23.52
10.	सूरजगढ	31.00	24.	नगर,	23.24
11.	सादुलशहर	28.63	25.	बयाना,	22.92
12.	सांभर	28.02	26.	आबूरोड	22.91
13.	श्री विजयनगर	27.23	27.	आसीन्द	21.68
14.	छापर	27.13	28.	माउण्ट आबू	21.65

अनुसूचित जाति हेतु जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में नगर पालिका बांदीकुई, भरतपुर, अजमेर, फालना, भुसावर, अनुपगढ, व आगामी क्रमवार में हिण्डौन, इन्द्रगढ, अकलेरा, बांरा, रावतसर, सवाईमाधोपुर, सादडी पूर्व में अनुसूचित जाति में आरक्षित होने के कारण अनुसूचित जाति हेतु नदबई, नगर, बयाना, आबूरोड, आसीन्द, माउण्टआबू को शामिल किया जाकर कुल 184 नगरीय निकायों से 28 नगरीय निकाय आरक्षित की गई है।

श्री. एस. बेनीवाल
अध्यक्ष एवं शासन उप सचिव
विभाग

(ब) अनुसूचित जन जाति के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित नगर पालिकाएं:-

क्र.सं.	नगर पालिका का नाम	प्रतिशत	क्र.सं.	नगर पालिका का नाम	प्रतिशत
1.	सांगवाडा	27.54	4.	कापरेन	16.76
2.	जहाजपुर	27.46	5.	नाथद्वारा	10.47
3.	टोडाभीम	25.84	6.	सादडी	10.20

अनुसूचित जनजाति हेतु जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में नगर पालिका माउण्टआबू व कानोड व आगामी क्रमवार में कुशलगढ, डूंगरपुर, फतेहनगर, पूर्व में अनुसूचित जनजाति में आरक्षित होने एवं आबूरोड का अनुसूचित जाति के प्रतिशत 22.91 अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत से अधिक होने के कारण छोड़ते हुए आगामी क्रमवार नाथद्वारा एवं सादडी नगरपालिका को शामिल किया जाकर कुल 184 नगरीय निकायों से 6 नगरीय निकाय अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई है।

2. उपर्युक्तानुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नगर पालिकाओं में लॉटरी द्वारा महिला पदों हेतु आरक्षण उपरान्त संभागवार आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	संभाग का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षित महिला निकाय	कुल संख्या
1.	अजमेर	2	गंगापुर	1	आसीन्द	1
2.	जोधपुर	3	आबूरोड, माऊन्टआबू	2	सांचौर	1
3.	कोटा	2	लाखेरी,	1	अन्ता	1
4.	भरतपुर	5	कुम्हेर, बयाना,, नदबई,	3	नगर, डीग	2
5.	जयपुर	6	सांभर, जोबनेर, सूरजगढ, फुलेरा,	4	खैरथल , बग्गड	2
6.	उदयपुर	0		0		0
7.	बीकानेर	10	गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर, सादुलशहर, देशनोक, छापर, पीलीबंगा	7	श्रीकरणपुर, श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर	3
	योग	28		18		10

3. उपर्युक्तानुसार अनुसूचित जनजातियों की पांच निकायों में आरक्षण की स्थिति संभागवार निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	संभाग का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षित महिला निकाय	कुल संख्या
1.	भरतपुर	1	टोडाभीम	1		0
2.	जोधपुर	1	सादडी	1		0
3.	उदयपुर	2	नाथद्वारा	1	सांगवाडा	1
4.	कोटा	1	कापरेन	1		0
5.	अजमेर	1	जहाजपुर	1		0
6.	बीकानेर	0		0		0
7.	जयपुर	0		0		0
	योग	6		5		1

सी. एस. बेनीवाल
जन शासन उप सचिव
विभाग

4. ओ.बी.सी. के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित नगर पालिकाओं में आरक्षण की संभाव्य स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित महिला निकाय	कुल संख्या
1.	अजमेर	6	<u>मकराना</u> , गुलाबपुरा, <u>मेडतासिटी</u> , किशनगढ़	4	<u>ब्यावर</u> , माण्डलगढ़	2
2.	जयपुर	9	नवलगढ़, रामगढ़, कोटपूतली, लोसल, लालसोट, <u>झुझनू</u>	6	चौमूं, बगरू, किशनगढ़- रेनवाल	3
3.	जोधपुर	5	<u>सिरोही</u> , <u>जालौर</u> , सोजत,	3	<u>शिवगंज</u> , तखतगढ़	2
4.	उदयपुर	4	बडीसादडी, <u>निम्बाहेडा</u> , भीण्डर	3	बेगू	1
5.	कोटा	4	बारा, केशोरायपाटन, <u>सांगोद</u>	3	<u>छबडा</u>	1
6.	बीकानेर	5	राजलदेसर, संगरिया, बीदासर	3	रतननगर, अनूपगढ़	2
7.	भरतपुर	3	धौलपुर, करौली	2	वैर	1
	योग	36		24		12

5. सामान्य वर्ग हेतु आरक्षण:-

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	कुल संख्या	सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित निकाय का नाम	कुल संख्या	सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित महिला निकाय	कुल संख्या
1.	जयपुर	27	खेतडी, दौसा, मण्डावा, <u>नीमकाथाना</u> विधाविहार, <u>सीकर</u> , बांदीकुई, <u>अलवर</u> , <u>बिसाउ</u> , विराटनगर, खेरली, रींगस, राजगढ़, मुकन्दगढ़, खण्डेला, <u>पिलानी</u> , <u>भिवाडी</u> , <u>जयपुर</u>	18	बहरोड, फतेहपुर, चाकसू, चिडावा, लक्ष्मणगढ़, शाहपुरा, श्रीमाधोपुर, तजारा, उदयपुरवाटी,	9
2.	भरतपुर	8	कांमा, <u>भरतपुर</u> , हिण्डौनसिटी, भुसावर, बाडी	5	सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, राजाखेडा,	3
3.	जोधपुर	16	पीपाडसिटी, पोकरण, <u>जोधपुर</u> , <u>पाली</u> , <u>बालोतरा</u> , <u>सुमेरपुर</u> , भीनमाल, बाली, <u>बाडमेर</u> , रानीखुर्द, बिलाडा	11	<u>फलोदी</u> , जैतारण, <u>जैसलमेर</u> , <u>पिण्डवाडा</u> , फालना	5
4.	उदयपुर	15	<u>चितौडगढ़</u> , प्रतापगढ़, कपासन, <u>कानोड</u> , छोटीसादडी, <u>रावतभाटा</u> ,	10	<u>आमेट</u> , सलूमबर, कुशलगढ़, देवगढ़, बांसवाडा,	5

सी. एस. बेनीवाल
निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

			फतेहनगर, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द			
5.	कोटा	12	झालरापाटन, बूंदी, मांगरोल, कोटा, पिडावा, इन्द्रगढ, कैथून, झालावाड	8	नैनवा, भवानीमण्डी, रामगंजमण्डी, अकलेरा	4
6.	अजमेर	21	कुचामनसिटी, टोडारायसिंह, अजमेर, नागौर, सरवाड, डीडवाना, विजयनगर उनियारा, मूण्डवा, केकडी, मालपुरा, कुचेरा, निवाई, पुष्कर	14	देवली, लाडनू, शाहपुरा, परबतसर, भीलवाडा, नांवा, टोंक	7
7.	बीकानेर	15	चुरू, राजगढ(चुरू) नोहर, सुजानगढ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, रतनगढ, नोखा, सरदारशहर, हनुमानगढ	10	सूरतगढ, श्रीडूंगरगढ, भादरा, तारानगर, रावतसर	5
	योग	114		76		38

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जिन 46 नगर निकायों का चुनाव माह नवम्बर 2014 में एवं शेष 138 निकायों में उपर्युक्तानुसार आरक्षण आगामी आम चुनाव वर्ष 2015-16 के लिये भी प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(Signature)
21/07/14
(सी.एस.बेनीवाल)
निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: एफ.10(क)(चुनाव)() / डीएलबी / 14 / 2335 to 2557 दिनांक: 22/7/14
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 4(क) के आगामी विशेषांक में प्रकाशनार्थ एवं 100 प्रतियाँ भिजवाने हेतु ।
2. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. शासन उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर ।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद पालिकाएँ समस्त राज.।
13. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, निदेशालय।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(Signature)
21/07/14
शासन उप सचिव
निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग